परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अन्य प्रपत्र

प्रपत्र–41

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

फोटो ग्राफ

Name of Work: Construction of Tanakpur Tawaghat Rd. Km. -31 To Silaar Motor Road, (Stage-Ist), under P.M.G.S.Y.

CH-0.100

CH-0.550

"Photo Copy Attested"
Assistant Engineer

CH-1.200

Name of Work: Construction of Tanakpur Tawaghat Rd. Km. -31 To Silaar Motor Road, (Stage-Ist), under P.M.G.S.Y.

CH-1.600

CH-2.300

Photo Copy Attested
Vaibhav
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

CH-2.900

104

प्रपत्र

परियोजना का नामः- **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में नजदीकीय अन्तराष्ट्रीय सीमा से दूरी_लगभग 50.00 किमी0 पर स्थित है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड, चम्पावत
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
चम्पावत

वन क्षेत्र अधिकारी
बूम रेंज (सूखीढाँग)
चम्पावत वन प्रभाग

ह0
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र–2

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–i

परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का विवरण

1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**
	ख)1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	... .
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होना।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नही ।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मोटर मार्ग के निर्माण से कुशल/अकुशल श्रमिको को रोजगार हेतु लगभग 1000 मानव दिवस।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	सिविल सोयम भूमि 0.810 हे0 नाप भूमि 2.025 हे0
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नही ।
	क) परिवारों की संख्या	(शून्य)
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की सख्या	(शून्य)
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	(शून्य)
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?(हां/नही)	नही

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/ दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक..................

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

स्थान..................

नाम श्री दामोदर दत्त भट्ट

मोहर अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रस्ताव की कम संख्या..

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

कनिष्ट अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड चम्पावत	**सहायक अभियन्ता** पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड चम्पावत सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत।	**अधिशासी अभियन्ता** पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड चम्पावत अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लो०नि०वि० चम्पावत

प्रपत्र–2.1

भाग– II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या...................

1 परियोजना का नाम– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

	i) राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य सरकार
	ii) जिला	चम्पावत
	iii) वन प्रभाग	चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
	iv) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	0.810 हे0
	v) वन की कानूनी स्थिति	सिविल सोयम भूमि
	vi) हरियाली का घनत्व	0.2 से 0.3
	vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	संलग्न है।
	viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	संलग्न है।
	ix) वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	1500 मी0 (लगभग)
	x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	नही
	xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
	xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नही
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	वांछित भूमि न्यूनतम है सर्वेक्षण के आधार पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
9	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।	वन अधिनियम का उल्ल्घंन के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई कार्य नही किया गया है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–	
	i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या,प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए सिविल सोयम मौजा बंगापानी जाराजिवली..में किया जाना है ....।
	ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	1:50000 पैमाने का मानचित्र संलग्न है।
	iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
	iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
	v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	प्रभाग / जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	ग्राम्य विकास विभाग
	कार्यदायी संस्था–	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चम्पावत
	i. जिला का वन क्षेत्र।	1323.375 हे0
	ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	390.1389 हे0
	iii. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	419.516 हे0
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
	(ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
	(ग) वन भूमि पर	419.516 हे0
	(घ) वनेत्तर भूमि पर	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित

दिनांक.................. **हस्ताक्षर**

स्थान.................. **नाम**

मोहर

प्रपत्र–2.2

भाग–iii

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	–
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

हस्ताक्षरः

तिथि.................. **नाम**

स्थान................. **सरकारी मोहर**

प्रपत्र–24

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18– राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रति – कूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि : **नाम और पदनाम**

स्थान : **सरकारी मोहर**

2125

प्रपत्र–24

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

18– राज्य सरकार की सिफारिशः (उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रति – कूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र–39

परियोजना का नाम:- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग किमी0– 31से सिलाड़ (3.150किमी0) तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गूनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतू आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चम्पावत	**सहायक अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चम्पावत	**अधिशासी अभियन्ता** पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चम्पावत

ह0/
वन क्षेत्राधिकारी

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी